

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 650 86 /वि0क0/यो0/आवंटन/2013-14 : लखनऊ दिनांक : 1 मार्च, 2014.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) द्वितीय छः माह के लिए आयोजनागत एस0सी0पी0 पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या- 217/26-ब0प्र0-2014-34(बजट)/2012टीसी, दिनांक 04 मार्च, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुसूचित जाति के नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आयोजनागत-एस0सी0पी0 पक्ष में आबंटन आदेश सं0-032-0301-पी- दिनांक- 06-03-2014 (संलग्नक-1) में दिये गये जनपदवार आबंटन के अनुसार द्वितीय छः माह के लिये कुल रु0 40,10,400/- (रूपये चालीस लाख दस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं :-

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा भितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0-032-0301-पी- दिनांक- 06-03-2014 में उल्लिखित मानक मर्दों के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0- 77 पर अंकित हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सम्मर)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकादारी (प्रथम)/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, विकलांग कल्याण/समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9. नियोजन अनुभाग-3

(डा0 ए0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

